VGT University, Jaipur
Vivekanand Global University, Jaipur

Indoor Facilities:

Auditorium
Chess
Gymnasium at Hostel
Table Tennis

SCHEDULE - II

Disciplines in which University shall undertake study and research:

1. Engineering and Technology
2. Architecture and Planning
3. Computer Science and Application
4. Basic and Applied Sciences
5. Management
6. Business and Economics
7. Humanities and Social Sciences
8. International Trade and Commerce
9. Fine Art and Performing Art
10. Design
11. Law
12. Education
13. Library Science and Informatics
14. Journalism, Mass Communication and Media
15. Pharmaceutical Science and Nursing
16. Environment
17. Earth Sciences
18. Life Sciences
19. Space Sciences
20. Food and Nutrition Sciences
21. Hospitality
22. Medical Sciences

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

66
Government Central Press, Jaipur.

75

195 16

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (8) शिक्षा–4/2010 पार्ट. जयपुर, दिनांक : 30-07-2018

कुल सचिव,
विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय
जगतपुरा, जयपुर।

विषयः–बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) एवं कृषि स्नातकोत्तर (शस्य विज्ञान) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति बाबत।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 1333, दिनांक 12.03.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2018 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त की गई अनुशंषाओं/सुझावो के आधार पर विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत बी.एससी. कृषि (ऑनर्स) एवं कृषि स्नातकोत्तर (शस्य विज्ञान) पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से संचालित करने की सहमति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. कृषि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं समय समय पर जारी निर्देशो, नियमो आदि की पूर्व पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. विश्वविद्यालय को कृषि पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 18.01.2018 की सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं पालना सुनिश्चित करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश जेट (JET) के माध्यम से दिये जा सकेंगे।
3. पाठ्यक्रमो की परीक्षा पद्धति आई.सी.ए.आर के दिशानिर्देशानुसार होनी चाहिये।
4. कृषि स्नातकोत्तर पाठयक्रम शुरू करने से पूर्व आवश्यक अनुसंधान सुविधायें, अनुभवी,, शैक्षणिक एवं तकनीकी स्टाफ, पुस्तकालय में पुस्तकें एवं मैग्जीन्स तथा जर्नल्स उपलब्ध करानी होंगी।
5. परीक्षण समिति के मतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा 2016–17 से बेसिक एवं अप्लाईड साईंसेज के अन्तर्गत संचालित कृषि पाठ्यकम नियमानुसार उचित नही है, अतः विभागीय दिशानिर्देश दिनांक 18.01.2018 के बिन्दू संख्या 16 के अनुसार सभी प्रवेशित छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का 50% शुल्क राजकोष में जमा कराना होगा। तथा भविष्य में अधिकतम 120 छात्रो को ही दिशानिर्देशानुसार नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

भवदीय,

(डॉ. राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

---- 2

issued 31/7/18

Scanned by CamScanner

30 196

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग
4. सचिव, आई.सी.ए.आर., कृषि शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान भवन– II, नई दिल्ली 110012
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned by CamScanner